| आदेश | कार्यवाही विवरण |
| --- | --- |
| 13.2.19 | पत्रावली पेश SE। वकील अभी उप। अभि पाट्य कार्यवाही निर्बंधाज्ञा से संबंधित मूल वाद का निस्तारण हो चुका इसलिये पाट्य कार्यवाही निर्बंधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं रह जाता अगर पाट्य कार्यवाही निर्बंधाज्ञा को मूल वाद का निस्तारण होने से अवशिष्ट किया जाता है पत्रावली पेश मूल नम्बर होकर नम्बर से कम हो व बाकी पश्चात हो। |

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner